न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 3140–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–08–2015 –पारित व्दारा – सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 2776–दो/2014 निगरानी

श्रीमती सियावाई पत्नि भगवान सिंह पटैल

(मृतक वारिस)

भगवान सिंह पटैल पुत्र बालकिसन पटैल

ग्राम सालीवाड़ा जबलपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– गिरीश कुररिया 2– आशीष कुररिया

3– मनीश कुररिया पुत्रगण गंगा प्रसाद

4– गंगा प्रसाद पुत्र जमुनाप्रसाद कुररिया

निवासीगण 232 संजीवनी नगर

कुररिया मार्केट गढ़ा, जबलपुर मध्य प्रदेश

5– बीरेन्द्र पटैल पुत्र राजेन्द्र आमगॉकर(असलनाम)

बीरेन्द्र पटैल पुत्र भगवानसिंह (विक्रय पत्र अनुसार)

निवासी ग्राम सालीवाड़ा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित –एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 – 2016 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 2776–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा सालीवाड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 279 रकवा 1.66 हैक्टर, खसरा नंबर 181 रकबा 4.71 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 6.37 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) की आवेदिका भूमिस्वामी थी। अनावेदक क्रमांक-5 ने मुख्त्यार-आम लिखतम के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12-6-2009 से वादग्रस्त भूमि विक्रय कर दी। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 ने विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अभिभाषक व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसील न्यायालय व्दारा आपत्ति अमान्य कर केतागण का आदेश दिनांक 15-9-11 से नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 30-4-12 से अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी होने पर निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल , म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 2776-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-8-2015 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30-4-12 तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 15-9-11 यथावत् रखा गया। सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2776-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-8-2015 के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किये गये किन्तु वह अनुपस्थि रहे है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 3-8-2015 से निगरानी इस आधार पर स्वीकार की गई है कि विक्रय पत्र की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है एंव व्यवहार न्यायालय में सिविल वाद संस्थित हो जाने से नामान्तरण की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती, किन्तु आदेश

दिनांक 3-8-2015 पारित करते समय यह तथ्य विचार से छूट गया कि जब तहसीलदार को नामांत्रण प्रकरण में यह जानकारी आ चुकी थी कि नामान्तरण पर अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत की है अर्थात मामला विवादित है तब उसे मूल भू-धारक को नामान्तरण के पूर्व सूचना देना एंव सुनवाई करना अनिवार्य था। धन्ना विरूद्ध शोभाराम 1973 रा0नि0 16 का दृष्टांत है कि मामला विवादित होने पर नामान्तरण किया गया और उसे निर्विवादित बताया गया। न्यायालय पर कपट व छल कारित किया गया। ऐसा नामान्तरण आदेश अकृत और शून्यवत् है। प्रकरण में यह भी विचार योग्य है कि भूमिस्वामिनी ने मुख्त्यारनामा निरस्त करने के वावत् दैनिक नई दुनिया समाचार पत्र में दिनांक 2-10-2009 को समाचार प्रकाशित करवा दिया था जो 13-10-2010 को तहसीलदार के अभिज्ञान में ला दिया था, इसके वाद भी तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 15-9-11 से नामान्तरण किया है। सोमतीवाई विरूद्ध किशोर 1999 रा0नि0 80 का दृष्टांत है कि नामान्तरण आदेश प्रथमततः कूटकृत एंव फर्जी होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होता। परन्तु राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 3-8-15 पारित करते समय उक्त तथ्य दृष्टिओझल होने से निगरानी स्वीकार करने में भूल हुई है।

5/ निगरानी स्वीकार करने का अन्य आधार यह है कि केवल सिविल वाद संस्थित होने के कारण नामान्तरण कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती और जब तक सिविल न्यायालय व्दारा विक्रय पत्र निरस्त नहीं किया जाता - नामान्तरण कार्यवाही से इंकार नहीं किया जा सकता। व्यवहार न्यायालय से पारित अंतरिम आदेश में पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है एंव व्यवहार न्यायालय में मुख्त्यारआम कूटरचित होने तथा उसके आधार पर विक्रय संव्यवहार निरस्त कराने का मामला होना आवेदक के अभिभाषक ने बताया है तथा फर्जी मुख्त्यारआम नियुक्ति वावत् एफ0आई0आर भी थाना बरेला में दर्ज हुई। माननीय व्यवहार न्यायाय के यथास्थिति के आदेश सभी पक्षकारों पर बन्धनकारी है, जिसमें म0प्र0शासन भी सम्मिलित है। हमजा हाजी विरूद्ध केरल राज्य (2006) 7 SCC 416 = AIR 2006 SC 3028 में प्रतिपादित है कि जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार एंव अधिकारिता प्राप्त है, उसके व्दारा यह विनिश्चय किया जा सकेगा कि पूर्व

में प्राप्त किया गया निर्णय या न्यायालय व्दारा दिया गया निर्णय कपट पर आधारित है - निर्णय कपट पर प्राप्त किया गया होने की दशा मेंप्रभावशून्य एंव अकृत घोषित किया जा सकेगा। व्यक्ति व्दारा संपत्ति में आधिपत्य स्वत्व धारण न करते हुये इसका विक्रय विलेख निष्पादित एंव रजिस्ट्रीकृत कराया जाए और उसके आधार पर न्यायालय से कपट किया जाए , यह माना जायेगा कि न्यायालय पर कपट कर निर्णय प्राप्त किया गया है। मूल सिद्धांत यह है कि जिस पक्षकार व्दारा कपट कर निर्णय प्राप्त किया गया, उसे कपटयुक्त निर्णय के अभिलाभों से बंचित रखा जाए। परन्तु राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 3-8-15 पारित करते समय यह तथ्य दृष्टिओझल रहने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30-4-12 तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का आदेश दिनांक 5-6-14 निरस्त करने में भूल हुई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2776-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-8-2015 निरस्त किया जाता है। परिणामतः अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 692 अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 5-6-14 एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-4-12 स्थिर रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर